श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार–सह–प्रभारी मंत्री, पटना जिला की अध्यक्षता में ''पटना नगर निगम'' के कार्यों की दिनांक 20 जनवरी' 2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षा संबंधी बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, मेयर, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की राजधानी 'पटना' के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे सुन्दर शहर बनाने की नितांत आवश्यकता से सभी संबंधितों को अवगत कराया गया। उन्होंने यह अपेक्षा की कि पटना नगर निगम, नागरिक सुविधाएं एवं संवेदनशील प्रशासन जन आकांक्षाओं के अनुकूल उपलब्ध कराएं। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सरकार से लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं, जिनकी पूर्ति हेतु सभी संबंधितों को विशेष प्रयास करना होगा।

3. बैठक के क्रम में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में प्रस्तुति की गयी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उपलब्ध निधि के उपयोग में तेजी आयी है। नागरिक सुविधाओं के संधारण में और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम से लोगों को सुगमतापूर्वक सेवाएं दी जा रही है। भवन उपविधि का कड़ा कार्यान्वयन करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. **बिन्दुवार गहन चर्चा के उपरांत निम्नवत महत्वपूर्ण कार्यबिन्दु निर्धारित किये गये** :–

(i) संसाधनों का उपयोग :–

नगर निगम के पी०एल० खाते में लगभग 125.00 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष में भी 100.00 करोड़ रूपये से अधिक की राशि पटना नगर निगम को अतिरिक्त मिलनी है। अपेक्षा की गयी कि इस राशि का प्रभावी उपयोग किया जाय। अग्रिम तौर पर सभी वार्डों में नई योजनाएं लेकर, प्राक्कलन बनाकर रखा जाय ताकि राशि प्राप्त होते ही उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। **(अनुपालनः– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)**

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–

(क) राज्य सरकार द्वारा डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण के लिए स्वच्छता अनुदान दिया जा रहा है। नगर निगम को त्वरित निर्णय लेकर डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

(ख) ठोस अपशिष्ट के परिवहन में प्रयुक्त हो रहे वैसे वाहन, जो क्षतिग्रस्त है, उन्हें तत्काल हटाया जाय। कूड़ा परिवहन के क्रम में खुला नहीं रहे, इसे ढँककर ले जाया जाय। ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थलों पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित घेराबंदी की जाय। सड़कों पर यत्र–तत्र एवं बेसमय कूड़ा डालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाय।

(ग) रामचक बैरिया स्थित कूड़ा भंडारण स्थल का उचित प्रबंधन किया जाय। Waste to Energy Plants शीघ्र चालू कराने का प्रयास किया जाय।

(घ) शहर में नियमित रूप से कूड़ा उठे, इस हेतु आवश्यकतानुसार मानव बल लगाया जाय। अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाय।

(iii) <u>जल निकासी</u> :–

पटना शहर में किसी भी हालत में जलजमाव की समस्या नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही तैयारी की समीक्षा की जाय। जल निसरण क्षमता में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाय। नालों के वर्ष में दो बार उड़ाही के प्रयास को गति दी जाय एवं इसमें खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाया जाय ताकि जनप्रतिनिधि एवं जनसाधारण, नालों की उड़ाही में किये जा रहे खर्च से अवगत हो सकें।

(iv) <u>राजस्व संग्रहण</u> :–

इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी कि पटना नगर निगम द्वारा अपनी क्षमता का 20 प्रतिशत से भी कम राजस्व संग्रहण किया जा रहा है। राजस्व संग्रहण में कमी का कोई संतोषजनक कारण नहीं है। यह नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वे सघन अनुश्रवण करके, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करते हुए, राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करें। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड टैक्स, विज्ञापन शुल्क, टॉवर शुल्क आदि से शत–प्रतिशत वसूली तत्काल करायी जाय। हर हालत में इस वर्ष कम से कम 75.00 करोड़ रूपये वसूली की जाय और अगले वर्ष के लिए यह लक्ष्य लगभग 150.00 करोड़ रूपये रखा जाय।

(v) <u>केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन</u> :–

(क) पटना नगर निगम में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं यथा AMRUT, HFA, SBM, NULM, नमामि गंगे का कार्यान्वयन अत्यंत असंतोषजनक है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं है। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि इसमें सुधार लाने के लिए बार–बार नगर

निगम को कहा जा रहा है। इसमें अतिशीघ्र प्रभावी सुधार लाया जाय ताकि जनसाधारण को योजनाओं का लाभ मिल सके।

(ख) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करायी जाय। खुलापन एवं पारदर्शिता के प्रयास को बढ़ाने हेतु उनका सहयोग लिया जाय।

(vi) भूमि का उचित और सार्थक उपयोग किया जाय। निगम की जमीन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाय।

(vii) **नगर निगम प्रशासन** :–

इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि समाचार पत्रों में नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि एवं सरकारी सेवकों के बीच समन्वय की कमी प्रतिवेदित होती है। ऐसे माहौल से संस्था की छवि धूमिल होती है। कार्यों में यथोचित प्रगति नही हो पाती है। यह सलाह दी गयी कि इसमें परिपक्वता बरतते हुए, संस्थाहित में नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रतिनिधि, अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि शहरवासियों को संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी और यह बताया गया कि पुनः समय–समय पर नियमित रूप से इस तरह की बैठकें आयोजित हुआ करेंगी।

2.2.16

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 821 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2.2.16

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 821 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार–सह–प्रभारी मंत्री, पटना जिला के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2.2.16

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 821 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि :– मेयर, पटना नगर निगम, ~~पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम~~, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 2.16

ज्ञापांक 821 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि :– संबंधित विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव 2.16